राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र / 2021 / 1043 दिनांक : 05/01/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 244 वीं बैठक दिनांक 22–12–2020 के विचार बिन्दु संख्या 244.29 में लिये गये निर्णय की पालना में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.01.2020, 24.09.2020 एवं दिनांक 26.11.2020 के द्वारा नगरीय निकायों में नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए बिना मौका निरीक्षण केवल दस्तावेजों के आधार पर नाम हस्तान्तरण के आदेश दिये गये है, और इस आदेश की अवहेलना कर मौके पर जाने वाले / मौके पर भेजने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए है। जिसके अन्तर्गत लीजडीड निष्पादन (रजिस्ट्री) के समय, विक्रय स्वीकृति एवं रहन अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जारी करते समय भी मौका निरीक्षण करवाया जाता है, जबकि नियमों में इसकी अपेक्षा नहीं है।

अतः उक्त की पालना में मण्डल द्वारा पूर्व में आदेश क्रमांक 1215 दिनांक 24.01.2020 जारी किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.11.2020 की पालना में समस्त उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता (स्वतंत्र खण्ड) को निर्देश दिये जाते हैं कि लीजडीड निष्पादन (रजिस्ट्री) विक्रय स्वीकृति एवं रहन अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) के मामलों में भी मौका निरीक्षण नहीं किया जाये और केवल दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर कार्य निष्पादन कर लिया जावे। उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा इन आदेशों की अवहेलना करने एवं मौके पर जाने वाले और उसे भेजने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आवासन आयुक्त

D/DRB/OFFICE ORDER

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वितीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव–मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव–अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त वृत्त–...................., रा0 आ0म0, ... ।
8. समस्त आवासीय अभियन्ता खण्ड–.................., रा0 आ0म0 .... ।
9. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी.., रा0आ0म0, जयपुर।
11. सम्पदा प्रबंधक वृत्त...राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ, जयपुर।
13. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

D/DRB/OFFICE ORDER